बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 207095 पटना, दिनांक 05/11/14

ग्रा0वि0-7 (सा0वा0) 22/13

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उपविकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 से की गयी वनरोपण को वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को संलग्न करना एवं पूर्व से अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस विभाग के पत्रांक 146743 दिनांक 26/04/2013 के अनुसार पूर्व में 20-20 पौधा आवंटन करने हेतु दिशा-निदेश दिया गया था । परन्तु 200 पेड़ लगाने के समय उस पेड़ को देख-भाल करने वाले चार परिवार ही हो रहे थे । इन चार परिवारों को भावानात्मक जुड़ाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से 20 पेड़ के स्थान पर पुन: 50 पेड़ आवंटित करने का उच्चस्तरीय निर्णय लिया गया है । तदनुसार वर्ष 2009 में जो पेड़ मनरेगा योजना के अन्तर्गत लगाया गया है उसमें 50-50 पेड़ के लिए जो वनपोषक इसमें संलग्न किया गया है, उन्हीं परिवार को वृक्षों की देख-भाल करने की जिम्मेदारी देने हेतु निम्नांकित दिशा-निदेश दिये जाते है -

1. पूर्व में 20-20 पेड़ जिस परिवार को आवंटित किया गया था, उन परिवारों को 20 पेड़ के स्थान पर 50-50 पेड़ आवंटित करके उन परिवारों को आगे देख-भाल करने हेतु जिम्मेवारी देना सुनिश्चित करेंगे ।

2. पौधारोपण के दिशा-निदेश के अनुसार पॉच वर्ष तक लगाये गये पेड़ का देख-भाल करने की आवश्यकता को संसूचित किया गया है । लेकिन ऐसी शिकायत मिल रही है कि जहॉ पंचायत समिति द्वारा पेड़ लगाया गया है और जहॉ-जहॉ पंचायत समिति से कार्य बन्द हो चुका है, उस समय से पेड़ का देख-भाल नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में जिस तिथि से वनपोषक द्वारा कार्य बन्द किया गया है उस तिथि तक का अभिलेख बंद करते हुए, उस तिथि तक एम.आई.एस. केन्द्र में जितने मजदूर को सूचीबद्ध किया गया है, उस मजदूर का भुगतान किया जाए ।

3. उपरोक्त कंडिका में जिस योजना को बंद किया गया है उन योजनाओं के लिए आज की तिथि में नया अभिलेख खोलकर पेड़ लगाने के दिन से पॉच वर्ष की अवधि तक देखभाल करने की आवश्यकता है । ऐसी स्थित में और कितने वर्ष देखभाल के लिए बचा हुआ है, उतने वर्षों के लिए वनपोषक

को 200 पेड़ के लिए दो परिवार को संलग्न कर, जब तक पॉच वर्ष का कार्य पूर्ण नहीं होता है, उस समय तक उसका देखभाल करेंगे । उदाहरण स्वरूप वर्ष 2010 में पेड़ लगाया गया और 2011 तक पेड़ का देखभाल किया गया है । इसके बाद कोई वनपोषक देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में 2014 में पेड़ का देखभाल शुरू किया जाए तो आगे एक साल ही वनपोषक को इस योजना में लगाया जा सकता है ।

4. जीवित बचे 200 पेड़ के लिए दो परिवार को सम्बद्ध करें तथा उन्हीं परिवार द्वारा उस 200 पेड़ की देख-भाल करने के लिए निर्धारित अवधि के बाद दो परिवार को 50-50 पेड़ संलग्न किया जाए और इस तरह 100 पेड़ उन वनपोषक के अनुशंसा के अनुसार उन्हीं समुदायों में से अन्य परिवारों के बीच वृक्ष संरक्षण योजना के अन्तर्गत संलग्न करना सुनिश्चित किया जाए ।

5. जहॉ-जहॉ निर्धारित योजना की अवधि समाप्ति के पहले ही विभिन्न कारणों से वनपोषक द्वारा कार्य छोड़ दिया गया है उन जगहों पर नया वनपोषक को लगाने के समय विभाग के फेसिलिटेटर को निश्चित रूप से उपयोग किया जाए और फेसिलिटेटर का हस्ताक्षर भी लेना सुनिश्चित किया जाए ।

6. जहॉ-जहॉ पुराने अभिलेख को बन्द कर नया अभिलेख खोला गया है वैसे जगहों पर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के लिए निर्धारित दूरी का अनुपालन नहीं किया गया है तो ऐसे पेड़ों की गणना नहीं करनी है । उदाहरणस्वरूप वृक्षों में दूरी के हिसाब से जहॉ एक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है वहॉ यदि 2 वृक्ष लगाये गये हो तो तो एक-ही वृक्ष की गणना की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सचिव 31/10/14

ज्ञापांक- 207095 पटना, दिनांक- 05/11/14

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव
31/10/14